न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल

अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 3611–पीबीआर/14 विरूद्ध आदेश दिनांक 17–10–14 पारित द्वारा तहसीलदार, कसरावद जिला खरगोन प्रकरण कमांक 30/अ(6)अ/2013–14.

—

1– छितु पिता करसन
2– सुन्दर बेवा करसन
निवासीगण ग्राम भट्टयाण बुजुर्ग
तहसील कसरावद जिला खरगोन .....आवेदकगण

विरूद्ध

गंगाबाई पति करसन
निवासी ग्राम भट्टयाण बुजुर्ग
तहसील कसरावद जिला खरगोन .....अनावेदिका

श्री एस.के. श्रीवास्तव, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री मधुसूदन श्रीवास्तव, अभिभाषक,अनावेदिका

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 15/10/14 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत तहसीलदार, कसरावद जिला खरगोन द्वारा पारित आदेश 17–10–14 विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि तहसीलदार, कसरावद के समक्ष अनावेदिका द्वारा इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि ग्राम भट्टयाण तहसील

कसरावद स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 249/5 रकबा 2.023 हेक्टेयर राजस्व अभिलेखों में उसके पति करसन के नाम पट्टेदार के रूप में दर्ज थी । मैं और मेरा पति खाने–कमाने के लिए ग्राम से बाहर चले गये थे और वहीं पर उनकी मृत्यु हो गई तथा वर्ष 1987–88 से हम बाम्बे जाकर रहने लगे और भूमि पर कोई ध्यान नहीं दिया । इस बीच बाला–बाला आवेदिका क्रमांक 2 सुन्दरबाई ने अपने को करसन की पत्नी बताकर पटवारी से मिलकर उक्त भूमि पर अपना नामांतरण करा लिया है, अतः उसका नाम कम किया जाकर अनावेदिका का नाम दर्ज किया जाये । तहसीलदार द्वारा प्रकरण क्रमांक 30/अ(6)अ/2013–14 दर्ज कर कार्यवाही प्रारंभ की गई । कार्यवाही के दौरान आवेदकगण की ओर से व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 के अंतर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर मुख्यतः इस आशय की आपत्ति की गई कि प्रकरण क्रमांक 44/ए–19/99–2000 में तहसील न्यायालय द्वारा दिनांक 29–5–2000 के अनुसार आवेदकगण को प्रश्नाधीन भूमि का भूमिस्वामी घोषित किया गया है और अनावेदिका द्वारा लगभग 14 वर्ष पश्चात आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है, अतः प्रकरण में पुनः तहसील न्यायालय को सुनवाई का अधिकार प्राप्त नहीं है । तहसील न्यायालय द्वारा दिनांक 17–10–14 को आदेश पारित कर पहले उल्लेख किया गया कि उक्त आवेदन पत्र का निराकरण प्रकरण के अंतिम निराकरण के समय किया जायेगा । बाद में पुनःश्च लिखकर आवेदन पत्र को निररस्त किया गया है । तहसीलदार के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क तर्क प्रस्तुत किया गया कि जब एक बार तहसीलदार द्वारा इस आशय का अंतरिम आदेश पारित कर दिया गया था कि आवेदकगण के आवेदन पत्र का निराकरण प्रकरण के अंतिम निराकरण के समय किया जायेगा, तत्पश्चात पुनःश्च करके आदेश पारित करने में तहसीलदार द्वारा अवैधानिक कार्यवाही की गई है । यह भी कहा गया कि प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदकगण का नाम वर्ष 1996–97 से दर्ज है और लगभग 14 वर्ष पश्चात नामांतरण के संबंध में आपत्ति प्रस्तुत करना उचित कार्यवाही नहीं है । वास्तव में प्रकरण में स्वत्व का प्रश्न निहित हो गया है, जिसके निराकरण का अधिकार तहसील न्यायालय को नहीं होकर व्यवहार न्यायालय को है । इस आधार पर कहा गया कि अनावेदिका को सर्वप्रथम व्यवहार न्यायालय से स्वत्व का

निराकरण कराना चाहिए । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि वर्ष 1996–97 में आवेदक कमांक 1 का नाम उसके पिता के स्थान पर बतौर वारिसान दर्ज हुआ है, जिसकी जानकारी अनावेदिका को शुरू से रही है । यह भी कहा गया कि एक बार तहसीलदार द्वारा नामांतरण किये जाने के पश्चात अनावेदिका द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र पर विचार करने में रेस्ज्यूडीकेटा के सिद्धान्त की बाधा आती है, इस वैधानिक स्थिति पर तहसीलदार द्वारा कोई विचार नहीं कर आदेश पारित करने में त्रुटि की गई है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसील न्यायालय द्वारा आवेदकगण के आवेदन पत्र पर बिना अनावेदिका से जवाब बुलाये यह निष्कर्ष निकालने में अवैधानिकता की गई कि उनके द्वारा प्रश्नाधीन भूमि पर भूमिस्वामी घोषित किए जाने की कार्यवाही नहीं की जाना है, पूर्णतः अवैधानिक एवं अनियमित कार्यवाही की गई है ।

4/ अनावेदिका के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क तर्क प्रस्तुत किया गया वह अपने पति के साथ बाम्बे चली गई थी और वहीं उनकी मृत्यु हो गई । प्रश्नाधीन भूमि के उनके पति पट्टेदार थे, परन्तु आवेदिका कमांक 1 ने फर्जी रूप से करसन की पत्नी बनकर अपना नाम प्रश्नाधीन भूमि पर दर्ज करा लिया गया है, जो कि पूर्णतः फर्जी एवं क्षेत्राधिकार रहित कार्यवाही है । अतः तहसील न्यायालय द्वारा अनावेदिका के आवेदन पत्र पर कार्यवाही करने में विधिसंगत कार्यवाही की गई है । यह भी कहा गया कि पूर्णतः क्षेत्राधिकार रहित कार्यवाही के संबंध में समय–सीमा की बाधा नहीं आती है और ऐसे आदेश को किसी भी समय चुनौती दी जा सकती है । तर्क में यह भी कहा गया कि आवेदकगण तहसील न्यायालय के समक्ष प्रचलित कार्यवाही को अवैधानिक तौर से प्रारंभ में ही निरस्त कराना चाहते हैं, जबकि तहसील न्यायालय के समक्ष आवेदकगण को सुनवाई एवं पक्ष समर्थन का पर्याप्त अवसर उपलब्ध है और वे साक्ष्य से इस तथ्य को प्रमाणित कर सकते हैं कि वास्तव में आवेदकगण मृतक पट्टेदार भूमिस्वामी करसन के पुत्र एवं पत्नी हैं । उनके द्वारा निगरानी निरस्त किए जाने का अनुरोध किया गया ।

5/ उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्को के सन्दर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसील न्यायालय के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि तहसील न्यायालय में आवेदकगण की ओर से व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 के अन्तर्गत इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है कि पूर्व में तहसील न्यायालय द्वारा उन्हें भूमिस्वामी घोषित

किया गया है, अतः अब प्रकरण में उनके द्वारा सुनवाई कर निराकरण किये जाने से रेस–जूडीकेटा के सिद्धांत की बाधा आती है, इसलिए प्रकरण समाप्त किया जाये । इस संबंध में तहसील न्यायालय द्वारा स्पष्ट निष्कर्ष निकाला गया है कि उनके द्वारा प्रश्नाधीन भूमि पर भूमिस्वामी घोषित किये जाने की कार्यवाही नहीं की जाकर केवल इस बिन्दु पर जॉच की जाना है कि सुन्दरबाई पति करसन ने पटवारी से मिलकर करसन की पत्नी बनकर अनावेदिका की भूमि अपने नाम करा ली है अथवा वास्तव में सुंदरबाई करसन की पत्नि है । अतः उपरोक्त निष्कर्ष के परिप्रेक्ष्य में तहसील न्यायालय द्वारा आवेदकगण का आवेदन पत्र निरस्त करने में पूर्णतः वैधानिक एवं उचित कार्यवाही की गई है क्योंकि तहसीलदार के समक्ष अनावेदिका द्वारा इस तथ्य को प्रमाणित किया गया है कि खसरे में हुई प्रविष्टियों में काट–छॉट एवं छेड़–छाड़ की गई है । इसके अतिरिक्त प्रकरण में पुनः जॉच करने का अधिकार तहसीलदार को प्राप्त है । दर्शित परिस्थितियों में तहसील द्वारा पारित आदेश वैधानिक एवं उचित होने से स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार कसरावद जिला खरगोन द्वारा पारित आदेश दिनांक 17–10–14 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर